

12/04/2024

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर न्यायालय में सम्मन भय नकल जारी किये जाकर वास्तु नोटिस तामील दिनांक 31/05/2024 को पैशा हो।

पत्रावली पैशा हुई... P.O. सादर अवकाश पर देने के कारण अथवा पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/05/2024 को पैशा की जावे

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

21/05/2024

पत्रावली पैशा हुई... अधिकाधिक संघ द्वारा न्यायालय में पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/06/24 को पैशा की जावे

22/05/2024

12/06/2024

पत्रावली पैशा हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में वाद-पत्र में पैरवी हेतु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र को इसी स्तर पर अदम एजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)